संचिका संख्या –15/औ0–14–18/18............................/स्वा0

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि श्री जयशंकर प्रसाद, औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–02 के विरूद्ध अनुबंध में अन्तर्विष्ठ आरोप में उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाना, वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना किया जाना एवं विभागीय पत्रांक–758(15), दिनांक–31.08.2018 द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुपालन में स्पष्टकीकरण का जवाब नहीं दिए जाने के लिए आरोपित है जो उनके कर्तव्यहीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 में उल्लंघन करने का भी परिचायक है। अतः बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि–

श्री जयशंकर प्रसाद, औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–02 के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोप के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

श्री जयशंकर प्रसाद, औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–02 को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अंदर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विभागीय कार्यवाही के लिए डॉ0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उपेन्द्र राम, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री जयशंकर प्रसाद, औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–02 को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षण करने के लिए इच्छुक है।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इस संकल्प के साथ निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–../स्वा0, पटना, दिनांक–...

प्रतिलिपिः– साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.........941(15)................/स्वा0, पटना, दिनांक–.........23/10/18......

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका, अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी डॉ0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती हैं कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर, अधिकतम तीन माह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपिः– साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति श्री उपेन्द्र राम, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री जयशंकर प्रसाद, औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।